पत्रकार दीर्घा में प्रवेश हेतु माननीय अध्यक्ष के स्थायी आदेश

140. (1) पत्रकार दीर्घा में प्रवेश पाने के लिए विहित आवेदन–पत्र जिसमें नाम, पता, अनुभव आदि की जानकारी दी गई हो समाचार पत्र अथवा समाचार अभिकरण के संपादक, **इलेक्ट्रानिक मीडिया के चेनल हेड** अथवा ब्यूरो प्रमुख के हस्ताक्षर से सत्र प्रारम्भ होने से सात दिन पूर्व सचिव को दिया जायेगा. दीर्घा में प्रवेश प्रक्रिया

(2) किसी भी समाचार पत्र अभिकरण/**इलेक्ट्रानिक मीडिया** के ऐसे प्रतिनिधि को ही प्रवेश–पत्र दिया जायेगा जिसका पत्रकारिता का अनुभव कम से कम तीन वर्ष का रहा हो तथा ऐसा व्यक्ति श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित पूर्ण कालिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हो .

परन्तु ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, आपवादिक प्रकरणों में या समिति की अनुशंसा से किसी अन्य पत्रकार को प्रवेश –पत्र दिया जा सकेगा.

(3) प्रवेश–पत्र अध्यक्ष के सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन सचिव द्वारा जारी किए जायेंगे, जिसे संबंधित प्रतिनिधि विधानसभा सचिवालय में रखी गई ''पत्रकार पंजी'' में अपने हस्ताक्षर करके स्वयं अथवा लिखित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त कर सकेगा .

(4) पत्रकार दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रत्येक सत्र में निर्दिष्ट किये अनुसार आवेदन (परिशिष्ट–7) में देना आवश्यक है.

(5) पत्रकार दीर्घा में किसी भी समाचार पत्र अथवा समाचार अभिकरण तथा **इलेक्ट्रानिक मीडिया** को एक से अधिक स्थान नहीं दिया जायेगा .

(6) पत्रकार दीर्घा के प्रवेश–पत्र संबंधित समाचार पत्रों/अभिकरणों/**इलेक्ट्रानिक मीडिया** के मान्य प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत नाम से जारी किए जावेंगे .

(7) यदि एक ही समाचार पत्र अथवा समाचार अभिकरण/**इलेक्ट्रानिक मीडिया** आदि के एक से अधिक प्रतिनिधि पत्रकार दीर्घा के प्रवेश–पत्र चाहें तो उन्हें इस आशय का लिखित आवेदन–पत्र सचिव के पास देना होगा. जो संबंधित प्रतिनिधियों को अलग वैकल्पिक प्रवेश–पत्र दे सकेगा ताकि वास्तव में किसी स्थान विशेष के लिए एक ही समय में एक समाचार–पत्र अथवा समाचार अभिकरण/**इलेक्ट्रानिक मीडिया** के केवल एक ही प्रतिनिधि को पत्रकार दीर्घा में स्थान दिया जा सके.

(8) केवल ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिए पत्रकार दीर्घा का प्रवेश–पत्र दिया जायेगा जो आयुक्त, अथवा संचालक, जनसम्पर्क द्वारा दिया गया, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उक्त समाचार पत्र प्रेस एक्ट के अन्तर्गत विगत 15 वर्षों से नियमित प्रकाशित हो रहा है अथवा उसकी प्रसार संख्या 50,000 से अधिक है .

(9) सभा की कार्यवाही का गलत ढंग से प्रकाशन, प्रश्नों तथा उत्तरों का पूर्व प्रकाशन, ऐसे विषय का प्रकाशन जो जनता के लिये न हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देश आदि का पालन न करना आदि कारणों से दीर्घा के लिए दिया गया प्रवेश–पत्र निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा.

(10) राष्ट्रीय स्तर के ऐसे साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र–पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों को प्रवेश–पत्र दिया जा सकेगा, जिनकी प्रसार संख्या एक लाख से अधिक होगी.

(11) रायपुर के बाहर से आने वाले ऐसे अतिथि पत्रकार/**न्यूज चैनल के रिपोर्टर** जो विधान सभा की कार्यवाहियां देखने के इच्छुक हों, उन्हें पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के किन्हीं दो सदस्यों की लिखित अनुशंसा पर पत्रकार दीर्घा के लिए अस्थायी प्रवेश पत्र दिया जा सकेगा, जो सामान्यतः एक दिन के लिए होगा. एक दिन में अधिकतम पांच अतिथि पत्रकारों/**न्यूज चैनल के रिपोर्टर** को पत्रकार दीर्घा प्रवेश–पत्र जारी किए जा सकेंग ।

(12) इलेक्ट्रानिक मीडिया के उसी न्यूज चैनल के प्रतिनिधि को पत्रकार दीर्घा में प्रवेश की पात्रता होगी, जिसको स्थापित हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

(13) इलेक्ट्रानिक मीडिया के उसी न्यूज चैनल के प्रतिनिधि को पत्रकार दीर्घा में प्रवेश की पात्रता होगी जिसके पास ओ व्ही वेन की सुविधा उपलब्ध होगी

(14) इलेक्ट्रानिक मीडिया के उसी न्यूज चैनल को पत्रकार दीर्घा में प्रवेश की पात्रता होगी जिसका प्रसारण सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होता हो, किंतु जिस न्यूज चैनल का प्रसारण छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शहर विशेष तक ही सीमित है, उन्हें डी.टी.एच. सेवा से संबंद्ध होने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी।

(15) इलेक्ट्रानिक मीडिया के न्यूज चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार या जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन से अधिमान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है ।

(16) इलेक्ट्रानिक मीडिया के न्यूज चैनल के कैमरामेन या टेक्नीशियन को पत्रकार दीर्घा में प्रवेश की पात्रता केवल निर्धारित स्थल तक ही होगी ।

—— x ——